न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

Appeal 223 RTA 2023-091 (GCMS 2023-176)

1. किस्तुरसिंह पुत्र बलु
2. भोपालसिंह पुत्र मगा
3. काना पुत्र बलु
4. घेवरसिंह पुत्र मगा
5. इसा पुत्र बलु (लाऔलाद फौत) के कायममुकामन
   5.1. आसुसिंह गोदपुत्र ईसा उर्फ अनोपसिंह
   सभी जाति दरोगा, निवासीगण नौसर
   तहसील लोहावट, जिला जोधपुर

अपीलाण्ट्स...

ब

ना

म

1. सीताराम पुत्र भारूराम जाट
   निवासी पूनियों की ढाणी, भीयाडीया
   तहसील लोहावट, जिला जोधपुर
2. बाबुसिंह पुत्र बलु जाति दरोगा
   निवासी नौसर, तहसील लोहावट
   जिला जोधपुर
3. बीरमसिंह पुत्र मगा जाति दरोगा
   निवासी नौसर, तहसील लोहावट
   जिला जोधपुर
4. शाखा प्रबन्धक
   बैंक ऑफ इण्डिया,
   शाखा ओसियाँ, जिला जोधपुर
5. शाखा प्रबन्धक
   आई सी आई सी आई बैंक
   शाखा भीकमकौर, जिला जोधपुर
6. तहसीलदार लोहावट
   जिला जोधपुर

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिकी सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लोहावट दिनांक 11 फरवरी 2022 राजस्व वाद संख्या 102/2021 अनवान सीताराम बनाम किस्तुरसिंह इत्यादि

------- 0 -------

05.9.23

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उपस्थित-
श्री पुखदास वैष्णव, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री सी पी चौधरी, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या छः

नि र्ण य

दिनांक : 05 सितम्बर 2023

अपीलाण्ट्स ने न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भोपालगढ द्वारा राजस्व वाद संख्या 102/2021 सीताराम बनाम किस्तुरसिंह इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 11 फरवरी 2022 के खिलाफ यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 19 मई 2023 को अदालत हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है। साथ ही एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय समय सीमा अधिनियम पेश कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया गया।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष वादी-रेस्पो. ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 एवं 188 के तहत एक राजस्व वाद ग्राम नौसर स्थित आराजी खसरा संख्या 895 रकबा 17.4257 हैक्टयर के संबंध में नाप एवं सीमांकन के आधार पर विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने हेतु प्रस्तुत किया। अपने वाद में वादी-रेस्पो. ने वादग्रस्त भूमि में स्वयं का 260/2153वां हिस्सा, प्रतिवादी-अपीलाण्ट संख्या एक किस्तुरसिंह का ⅛ हिस्सा, प्रतिवादी-अपीलाण्ट संख्या दो भोपालसिंह का ⅙, प्रतिवादी-अपीलाण्ट संख्या तीन काना का 73/17224 हिस्सा, प्रतिवादी-अपीलाण्ट संख्या चार घेवरसिंह का ⅙ हिस्सा, प्रतिवादी-रेस्पो. संख्या दो बाबुसिंह का ⅛ हिस्सा, प्रतिवादी-रेस्पो. संख्या तीन बीरमसिंह का ⅙ एवं प्रतिवादी-अपीलाण्ट संख्या 5 ईसा पुत्र बलु के कायममुकाम आसुसिंह का ⅛ हिस्सा होना जाहिर करते हुए तदनुसार अनुतोष प्रदान किये जाने का निवेदन किया। प्रतिवादीगण विचारण न्यायालय के समक्ष बावजूद

05.9.23

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

सूचना अनुपस्थित रहे जिनके खिलाफ इकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी और वादी-रेस्पो. का दावा बाद आवश्यक कार्यवाही दिनांक 11 फरवरी 2022 .को स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिकी जारी करते हुए विभाजन प्रस्ताव तलब किये गये। जिसके खिलाफ प्रतिवादीगण-अपीलाण्ट्स की ओर से आलौच्य अपील प्रस्तुत की गयी है।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने तथ्यों एवं अपील मीमों में वर्णित बिन्दुओं को दोहराते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा कोई कारण एवं आधार प्रकट किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी पारित किये गये है। अपीलाण्ट्स-प्रतिवादीगण के खिलाफ सम्मनों की सम्यक एवं समुचित तामील भी विधिवत नहीं करवायी गयी, अपीलाण्ट्स-प्रतिवादीगण को कोई सम्मन प्राप्त ही नहीं हुए, न ही कोई प्राप्ति रसीद विचारण न्यायालय के समक्ष पेश की गयी। इसके उपरान्त भी अपीलाण्ट्स-प्रतिवादीगण के खिलाफ तामील पूर्ण मानते हुए उनके खिलाफ इकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी और स्वयं वादी की कोई साक्ष्य अभिलेख पर लिये बिना और मौके की वस्तुस्थिति बाबत कोई रिपोर्ट तलब किये बिना ही अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी पारित कर दिये गये। अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने यह भी जाहिर किया कि वादी-रेस्पो. संख्या एक के खिलाफ वादग्रस्त आराजी के संबंध में बेचाननामा निरस्त कराने हेतु सिविल न्यायालय जिला जोधपुर में वाद विचाराधीन है और वाद के साथ प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थनापत्र दिनांक 28 अक्तूबर 2021 को स्वीकार कर आदेश दिया गया है कि बेचाननामा दिनांक 16 सितम्बर 2020 के बेची भूमि वादग्रस्त कृषि भूमि का किसी प्रकार से बेचान, हस्तान्तरण न तो स्वयं करे और न किसी और से करावे तथा वादग्रस्त भूमि से संबंधित रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखी जावे। उक्त अस्थायी निषेधाज्ञा की जानकारी वादी-रेस्पो. को भलीभांति होते हुए भी अनुचित लाभ प्राप्ति हेतु न्यायालय को अंधेरे में रखते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी पारित कराये गये है। मियाद के संबंध में अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने जाहिर किया कि विचारण न्यायालय में वाद की कार्यवाही बाबत कोई सम्मन

05.9.23

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलाण्ट्स को प्राप्त ही नहीं हुआ, अतः वाद की कार्यवाही एवं अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी बाबत समुचित समय में अपीलाण्ट्स को कोई जानकारी नहीं हो पायी। विचारण न्यायालय से अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी दिनांक 11 फरवरी 2022 की नकलें प्राप्त होने पर जानकारी हुई। अतः प्रस्तुत अपील मियादशुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार की जावे।

जबाब में अधिवक्ता-रेस्पो. ने अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी का समर्थन किया और कथन किया कि वादग्रस्त आराजी राजस्व रिकार्ड में संयुक्त खातेदारी की भूमि दर्ज है, मौके पर कणा माठ कायम कर अलग-अलग हिस्से किये हुए है, वादी-रेस्पो. ने प्रतिवादी-अपीलाण्ट काना पुत्र बलू जाति दरोगा के हिस्से में से 13 बीघा भूमि जरिये पंजीबद्ध विकय विलेख दिनांक 16 सितम्बर 2020 मूल्यवान प्रतिफल चुका कर खरीद कर भौतिक कब्जा प्राप्त किया है। मौके पर कब्जा काश्त अनुसार राजस्व रिकार्ड में औपचारिक विभाजन नहीं होने से वादी-रेस्पो. संख्या एक को अपने हिस्से की भूमि में विकास कार्य करने में कठिनाई होने तथा पक्षकारान के मध्य दिन प्रतिदिन होने रहने वाले मनमुटाव के कारण बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स वादग्रस्त भूमि का विभाजन कराने एवं अपने हिस्से में प्राप्त होने वाली भूमि बाबत स्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने हेतु विचारण न्यायालय में आलौच्य दावा पेश किया, जिसे स्वीकार करने में विचारण न्यायालय द्वारा कोई तथ्यात्मक अथवा विधिक भूल नहीं की गयी है। माननीय सिविल न्यायालय द्वारा वादी-रेस्पो. की कयसुदा भूमि के आगे बेचान अथवा हस्तान्तरण नहीं किये जाने एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गयी है, अभिलिखित सहखातेदारान के मध्य विधिवत विभाजन बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स किये जाने बाबत कोई अस्थायी निषेधाज्ञा प्रभाव में नहीं है। विचारण न्यायालय में प्रतिवादीगण की तलब हेतु विधिवत सम्मन जारी रजिस्टर्ड डाक से भिजवाने की रसीदात भी पेश की गयी है। सम्मनों की समुचित एवं सम्यक तामील के उपरान्त भी विचारण न्यायालय में प्रतिवादीगण के उपस्थित

05.9.23

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

नहीं आने पर उनके खिलाफ नियमानुसार इकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी है। मियाद के संबंध में अधिवक्ता-रेस्पो. ने कथन किया कि विलम्ब को क्षमा किये जाने हेतु धारा 5 भारतीय समय सीमा अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अपूर्ण है जिसमें मात्र अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी की नकलें प्राप्त होने पर जानकारी होना वर्णित किया गया है किन्तु यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी बाबत अपीलाण्ट्स को कब, किसके जरिये कहॉ और किस प्रकार जानकारी होने पर नकलों हेतु आवेदन किया गया। नकलों हेतु आवेदन कब किया गया और कब नकलें प्राप्त हुई, इसका विवरण भी उक्त प्रार्थनापत्र में नहीं दर्शाया गया है। अतः प्रस्तुत अपील अपीलाण्ट मियाद बाधित एवं सारहीन होने से खारिज की जावे।

राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप न्यायोचित निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया । आलौच्य मामले में विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद संस्थित किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सम्मन जारी किये गये। जो रजिस्टर्ड एडी डाक से भिजवाने जाने की पोस्टल रसीदात विचारण न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध है। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से रजिस्टर्ड डाक से भिजवाया हुआ कोई भी सम्मन अदम तामील लौट कर आना नहीं पाया जाता है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा विधिवत एवं नियमानुसार प्रतिवादीगण के खिलाफ इकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी है। इसके अलावा यह भी उल्लेखनीय है कि दिनांक 11 फरवरी 2022 को पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी के खिलाफ अदालत हाजा के समक्ष आलौय अपील निर्धारित समयावधि व्यतीत हो जाने के बाद काफी विलम्ब से दिनांक 19 मई 2023 को आलौच्य अपील पेश की गयी और अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने बाबत प्रस्तुत प्रार्थनापत्र में स्पष्ट नहीं किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी

05-9-23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बावत अपीलाण्ट्स को कब, किसके जरिये, कहाँ और किस प्रकार जानकारी होने पर नकलों हेतु आवेदन किया गया। नकलों हेतु आवेदन कब किया गया और कब नकलें प्राप्त हुई, इसका विवरण भी उक्त प्रार्थनापत्र में नहीं दर्शाया गया है। मात्र अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की नकलें प्राप्त होने पर जानकारी होना वर्णित किया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 5 भारतीय समय सीमा अधिनियम अपूर्ण होने के कारण स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाया जाता है और तदनुसार अपील अपीलाण्ट मियाद के बिन्दु पर ही खारिज किये जाने योग्य पायी जाती है।

इसके उपरान्त भी न्यायहित में गुणावगुण के संबंध में मामले का सिंहावलोकन करने पर प्रकट होता है कि -

- वादग्रस्त आराजी से संबंधित राजस्व रिकार्ड जमाबंदी (खेवट/खतौनी) संवत 2075-2078 में वादग्रस्त आराजी बावत
    1. ईसा पुत्र बलु हिस्सा ⅛,
    2. काना पुत्र बलु हिस्सा 73/17224,
    3. किस्तुरसिंह पुत्र बलु हिस्सा ⅛,
    4. घेवरसिंह पुत्र मगरा हिस्सा ⅙,
    5. बाबु पुत्र बलु हिस्सा ⅛,
    6. बीरमसिंह पुत्र मगा हिस्सा ⅙,
    7. भोपालसिंह पुत्र मगा हिस्सा ⅙
    8. सीताराम पुत्र भारूराम हिस्सा 260/2153

    दर्ज है।
- काना पुत्र बलु द्वारा वादग्रस्त आराजी में अपने ⅛ हिस्से में से 13 बीघा भूमि बावत सीताराम पुत्र भारूराम के पक्ष में निष्पादित पंजीबद्ध विकय विलेख दिनांक 16 सितम्बर 2020 (पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 78 में पृष्ठ संख्या 88 कम संख्या 202003080100655 पर पंजीबद्ध) के आधार पर स्वीकृत म्युटेशन दिनांक 27 नवम्बर

05.9.23

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

2020 के जरिये राजस्व रिकार्ड में वादग्रस्त भूमि बाबत केता (वादी-रेस्पो.) सीताराम पुत्र भारूराम का 260/2153वां हिस्सा दर्ज करते हुए विकेता काना पुत्र बलू का हिस्से ⅛ की बजाय 73/17224 दर्ज किया गया और अन्य सहखातेदारान के हिस्से यथावत रखे गये है।

- माननीय सिविल न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश जोधपुर द्वारा दीवानी विविध प्रकरण संख्या 01/2021 पदमसिंह पुत्र कानसिंह व अन्य बनाम सीताराम पुत्र भारूराम आदि में पारित आदेश दिनांक 28 अक्तूबर 2021 के जरिये मूल वाद के निस्तारण तक पंजीबद्ध बेचाननामा 16.9.2020 से बेची गई वादग्रस्त जायदाद का किसी भी प्रकार से बेचान हस्तान्तरण नहीं किये जाने तथा राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गयी हैं। ऐसी स्थिति में अधिवक्ता-रेस्पो. का यह तर्क उचित प्रतीत होता है कि माननीय सिविल न्यायालय द्वारा वादी-रेस्पो. की कयसुदा भूमि के आगे बेचान अथवा हस्तान्तरण नहीं किये जाने एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की गयी है, अभिलिखित सहखातेदारान के मध्य विधिवत विभाजन बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स किये जाने बाबत कोई अस्थायी निषेधाज्ञा प्रभाव में नहीं है।
- विचारण न्यायालय द्वारा वादी-रेस्पो. संख्या एक सीताराम द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 एवं 188 के तहत प्रस्तुत वाद का प्रतिवादीगण की ओर से उपस्थित होकर कोई जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया गया, अतः प्रकरण में तनकियात कायमी की आवश्यकता नहीं हुई और विचारण न्यायालय द्वारा उक्त वाद स्वीकार करते हुए प्राथमिक डिकी जारी कर विभाजन प्रस्ताव तलब किये गये है। जिनमें किसी

05-9-23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रकार की कोई तथ्यात्मक अथवा विधिक त्रुटि या अनियमितता प्रकट नहीं होती है।

अतः उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट्स मियाद बाधित एवं सारहीन होने से स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पायी जाती है, जो तदनुसार खारिज की जाती है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11 फरवरी 2022 यथावत रखे जाते है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

05.9.23

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

डिकी बसीगे अपील

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

बइजलास श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

अपीलाण्ट

1. किस्तुरसिंह पुत्र बलु
2. भोपालसिंह पुत्र मगा
3. काना पुत्र बलु
4. घेवरसिंह पुत्र मगा
5. इसा पुत्र बलु (लाऔलाद फौत) के कायममुकामन
   5ए1ए आसुसिंह गोदपुत्र ईसा उर्फ अनोपसिंह

सभी जाति दरोगा, निवासीगण नौसर
तहसील लोहावट, जिला जोधपुर

ब ना म

रेस्पोडेण्ट

1. सीताराम पुत्र भारूराम जाट
   निवासी पूनियों की ढाणी, भीयाडीया
   तहसील लोहावट, जिला जोधपुर
2. बाबुसिंह पुत्र बलु जाति दरोगा
   निवासी नौसर, तहसील लोहावट
   जिला जोधपुर
3. बीरमसिंह पुत्र मगा जाति दरोगा
   निवासी नौसर, तहसील लोहावट
   जिला जोधपुर
4. शाखा प्रबन्धक
   बैंक ऑफ इण्डिया,
   शाखा ओसियॉ, जिला जोधपुर
5. शाखा प्रबन्धक
   आई सी आई सी आई बैंक
   शाखा भीकमकौर, जिला जोधपुर
6. तहसीलदार लोहावट
   जिला जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिकी सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लोहावट दिनांक 11 फरवरी 2022 राजस्व वाद संख्या 102/2021 अनवान सीताराम बनाम किस्तुरसिंह इत्यादि

------- 0 -------

दावा बाबत

यह अपील बतारीख 05 सितम्बर 2023 बहाजरी अधिवक्ता श्री पुखदास वैष्णव मिनजानिब अपीलाण्ट्स एवं अधिवक्ता श्री सी. पी. चौधरी, एवं राजकीय अधिवक्ता श्री दयाराम चौधरी, मिनजानिब रेस्पो. उपस्थित होकर हुक्म हुआ कि समस्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलाण्ट्स मियाद बाधित एवं सारहीन होने से स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पायी जाती है, जो तदनुसार खारिज की जाती है और विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी दिनांक 11 फरवरी 2022 यथावत रखे जाते है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुबलिग ---------) रुपये ------------- अदा करें। खर्चा मुकदमा मातहत का ---------- अदा करें।

05.9.23

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत हाजा तारीख 05 सितम्बर 2023को जारी किया गया।

05-9-23

(मंगलाराम पूनिया) RAS
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

खर्चा अपील

अपीलाण्ट	राशि	रेस्पोडेण्ट	राशि
1. स्टाम्प अपील 2. स्टाम्प वकालतनाम 3. इजराय हुक्मनामा 4. वकील फीस बाबत मीजान	/	1. स्टाम्प वकलातनामा 2. स्टाम्प अर्जी 3. इजराम हुक्मनामा 4. मेहनताना वकील मीजान	/

05.9-23

(मंगलाराम पूनिया) RAS
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर